



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276689
CG-DL-E-01102026-276689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5074]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5074]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

का.आ. 5281(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के जिला फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-2 (नई सं0-44) के कि.मी. 20.500 से कि.मी. 44.200 तक परियोजना “हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में, 6-लेन दिल्ली-आगरा खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-2 (नई सं0-44 और 19) के कि.मी. 20.500 से कि.मी. 200.000 तक, ईपीसी मोड पर, 3 लेन वाले 03 आरओबी और 07 वी.यू.पी. का निर्माण” के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी/जिला राजस्व अधिकारी, फरीदाबाद को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में कि.मी. 20.500 से कि.मी. 44.200 तक दिल्ली-आगरा खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (नई सं. 44) की परियोजना 'हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में 6-लेन दिल्ली-आगरा खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (नई सं. 44 और 19) के कि.मी. 20.500 से कि.मी. 200.000 तक, ईपीसी मोड पर, 3-लेन वाले 03 आरओबी एवं 07 वी.यू.पी. के निर्माण कार्य' हेतु अर्जित की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: फरीदाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बल्लभगढ़					
गांव का नाम: रनहेडा					
1	23//15/2/1	निजी	गैर कृषि	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
2	23//16/2/2	निजी	गैर कृषि	0.0304 (हेक्टेयर)	0.0304
3	23//25/2	निजी	गैर कृषि	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
4	23//6/2/2	निजी	गैर कृषि	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
5	26//5/1	निजी	गैर कृषि	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
कुल योग					0.0861

[फा. सं. 11012/Ph. V/NH-2/LA/DA/DK-II/2009/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2026

S.O. 5281(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for the Project "Construction of 03 nos. of 3 lane ROBs and 07 no of VUPs on 6L Delhi Agra Section old NH-2 (New NH 44 and 19) from Km. 20.500 to Km. 200.000 in the State of Haryana and Uttar Pradesh on EPC Mode." for building ,maintenance, management and operation of the National Highway in the stretch of land from Km. 20.500 to Km 44.200 of Delhi-Agra section of NH-2 (New NH-44) in the District Faridabad, in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the District Revenue Officer, Faridabad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

State: HARYANA			District: FARIDABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ballabgarh					
Village: Ranhera					
1	23//15/2/1	Private	Non Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
2	23//16/2/2	Private	Non Agriculture	0.0304 (Hectare)	0.0304
3	23//25/2	Private	Non Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
4	23//6/2/2	Private	Non Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
5	26//5/1	Private	Non Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
Total					0.0861

[F. No. 11012/Ph. V/NH-2/LA/DA/DK-II/2009/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director